हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ

(तिथि 13 अक्तूबर 2025, समय 13.05 (5 मिनट)

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा मानव इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस और एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशिएंसी सिंड्रोम (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2017 की धारा 49 की उपधारा एक के अंतर्गत राज्य नियमों के निर्माण को मंजूरी दी गई है।
नए नियमों को हरियाणा मानव इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस और एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशिएंसी सिंड्रोम नियम, 2025 कहा जाएगा।

इन नियमों के अंतर्गत, राज्य सरकार अपने छह प्रशासनिक प्रभागों के आयुक्तों को लोकपाल के रूप में कार्य करने के लिए नामित करेगी। वो एचआईवी अथवा एड्स से पीड़ित लोगों की शिकायतों का निपटारा करेंगे। प्रत्येक लोकपाल अपने-अपने प्रभागों–रोहतक, हिसार, करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद और अंबाला–में कार्य करेगा और संबंधित जिले के सिविल सर्जन द्वारा समर्थित होगा।

राज्य सरकार नैदानिक सुविधाओं को मजबूत करने और संक्रमणों, अर्थात् ऐसे संक्रमण जो प्रतिरक्षा को कम कर सकते हैं, के प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करेगी।यह उप-स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, नागरिक अस्पतालों, जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों सहित सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में निःशुल्क नैदानिक सेवाएँ प्रदान करेगी।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के दिशानिर्देशों के अनुसार, एआरटी केंद्रों, सुविधा-एकीकृत एआरटी केंद्रों और लिंक एआरटी केंद्रों पर सभी एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों को निःशुल्क एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी उपलब्ध कराई जाएँगी। सरकार एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों को नैदानिक और उपचार सेवाएँ प्रदान करने में निजी चिकित्सा क्षेत्र को भी सक्रिय रूप से शामिल करेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सेवाएँ बिना किसी भेदभाव के प्रदान की जाएँ। निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को निर्देश दिया जाएगा कि वे सभी एचआईवी पॉजिटिव मामलों की सूचना निकटतम एकीकृत परामर्श एवं परीक्षण केंद्र या सरकारी अस्पताल को आगे के प्रबंधन और उपचार के लिए दें, साथ ही निजता के अधिकार सहित व्यक्तियों के मानवाधिकारों का भी कड़ाई से पालन करें।

इसके अतिरिक्त, राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप, सभी सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में संक्रमणों के निदान और उपचार के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया जाएगा।

****

पलवल जिले में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा फसल अवशेष का प्रबंधन करने वाले किसानों को जागरूक किया जा रहा है जिसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं।

पलवल में कृषि विभाग के सहायक तकनीकी प्रबंधक अतुल कुमार ने बताया कि विभिन्न गांवों में फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर जागरूकता अभियान आयोजित किए जा रहे हैं और किसानों को सरकार द्वारा पराली प्रबंधन के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहन की जानकारी दी जा रही है। साथ ही उन्हें बताया जा रहा है कि पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।

आकाशवाणी समाचार ने पलवल जिले के खेतों में जाकर उन किसानों से बातचीत की, जो पराली प्रबंधन में लगे हैं । होडल खंड के गांव खिरबी के किसान मानसिंह ने बताया -

मान सिंह -25 सेकंड

****

अंबाला के जिलाधीश एवं उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने कहा अम्बाला जिले में 20 अक्टूबर से लेकर 31 जनवरी 2026 तक ग्रीन पटाखों को छोड़ कर अन्य पटाखे बनाने, बेचने और चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध अदालत और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेशों की पालना में लगाया गया है।

उपायुक्त द्वारा जारी आदेशों के अनुसार दीपावली, क्रिसमस, नववर्ष, गुरु पर्व व अन्य त्योहारों पर निर्धारित समय अवधि के लिए केवल ग्रीन पटाखे चलाने की छूट दी जायेगी। दीपावली, गुरू पर्व व अन्य महोत्सवों पर रात्रि 8 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक और क्रिसमस और नववर्ष पर रात्रि 11 बज के 55 मिनट से लेकर 12 बज कर 30 मिनट तक ग्रीन पटाखे चलाए जा सकेंगे।

आदेशों की अवहेलना करने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विस्फोटक अधिनियम 1884 व विस्फोटक नियम 2008 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जायेगी।

****

फरीदाबाद के गांव मेवला महाराजपुर में समाज सेवी संस्था टेडिशिया एसोसिएशन द्वारा निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में नेत्र विशेषज्ञों की टीम ने सैकड़ों लोगों की आंखों की जांच की और आवश्यकतानुसार लोगों को नजर के चश्मे मुफ्त प्रदान किए गए। शिविर में लगभग 500 से अधिक लोगों की आंखों की जांच की गई ।

****